जिला स्तरीय पर्यावरण समिति एवं सीएसआर की बैठक आयोजित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यावरण समिति एवं सीएसआर की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।

■ वृहद वृक्षारोपण अभियान में आमजन कि सहभागिता सुनिश्चित करते हुए लक्ष्यानुरूप पौधारोपण सुनिश्चित करें - अतिरिक्त जिला कलेक्टर

कोटपूतली(निसं)। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश सहारण की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यावरण समिति एवं सीएसआर की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।

बैठक के दौरान राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से 'हरियालो-राजस्थान' के तहत वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्य करने हेतु एक्शन प्लान बनाने के संबंध में चर्चा कर 18 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य विभागवार आवंटित किया एवं इसके अनुरूप शिक्षा, उद्यानिकी, उद्योग, चिकित्सा, आईसीडीएस सहित अन्य विभागों को कार्ययोजना बनाने के आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए । अतिरिक्त जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि हरियालो राजस्थान अभियान में सभी विभाग जनप्रतिनिधियों व आमजन के साथ मिलकर सक्रिय भागीदारी निभाते हुए पौधारोपण कर उनकी देखभाल करते हुए हरित राजस्थान के सपने को साकार करें।

उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के साथ उनकी वर्षभर देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी से ही हरित राजस्थान का संकल्प पूरा होगा। पौधे पर्यावरण संरक्षण के लिए महती आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी होगी। बैठक के दौरान वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन, पौधों की उपलब्धता, नर्सरियों में प्लांटेशन, उनकी देखभाल हेतु तारबंदी, ट्री गार्ड व फेंसिंग, पानी की व्यवस्था, सीएसआर के माध्यम से वृक्षारोपण, सड़कों के किनारे उपयुक्त स्थान पर पौधारोपण पर चर्चा कर सीआईएसएफ, इकोग्रीन क्लब, एनजीओ, स्काउट, गाइड, सरकारी संस्थाओं, किसानों व आमजन की सहभागिता पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी सरकारी संस्थानों, कार्यालयों, सीएचसी, पीएचसी, पुलिस चौकियों, विद्यालयों में अधिकाधिक पौधारोपण करें, अधिकारी अपने कर्मचारियों व शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करें एवं ग्राम पंचायत को लक्ष्य आवंटित कर अधिकाधिक वृक्षारोपण हेतु जागरूक करें।

इन विषयों पर हुई चर्चा: बैठक के दौरान पर्यावरण संबंधी एनजीटी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की पालना, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के अपशिष्ट के डिस्पोजल, अस्पतालों के बायोमेडिकल वेस्ट के लिए सीएमएचओ को निर्देशित किया, वाहनों के प्रदुषण के संबंध में एवं जिले की पर्यावरण संबधी समस्याओ के बारे में कार्यक्रमों की योजनाऐं तैयार करने पर चर्चा करते हुए वायु, ध्वनि, मृदा एवं जल प्रदूषण पर रोक हेतु प्रभावी कार्यवाही करने को कहा साथ ही आपदा प्रबंधन, आरा मशीन एवं लकडी के अवैध कटान परिवहन संम्बधी एवं मोर कन्जरवेशन पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए । इस दौरान उप वन संरक्षक अलवर राजेन्द्र हुड्डा ने समस्त विभागों को वृक्षारोपण के आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप तैयारी पर चर्चा करते हुए अभियान कि सम्पूर्ण जानकारी दी. बैठक में एसीईओ सुशीला यादव, संयुक्त निदेशक कृषि लीला राम जाट सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे ।

शपथग्रहण समारोह व जिला कार्यकारिणी की प्रथम बैठक

कोटपूतली, (निसं)। कोटपूतली-बहरोड़ जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक इन्द्राज सिंह गुर्जर का शपथग्रहण समारोह व जिला कार्यकारिणी की प्रथम बैठक का आयोजन शुक्रवार 05 दिसम्बर को कस्बे के डाबला रोड़ स्थित नारायणा गार्डन में होगा। संगठन महामंत्री वी.के. नवल ने बताया कि समारोह में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में संभाग प्रभारी रमेश खंडेलवाल, जिला प्रभारी आर सी चौधरी, फूलसिंह ओला, पूर्व केबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, मुंडावर विधायक ललित यादव, पूर्व विधायक महिपाल यादव, पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाणा, पूर्व विधायक रामचन्द्र रावत, पूर्व विधायक बलजीत यादव बहरोड़, कांठोस विधायक प्रत्याशी रहे आर सी यादव, संजय यादव समेत जिले के सभी विधानसभा प्रभारी, ब्लॉक कॉंग्रेस प्रभारी आदि भाग लेगें।

कलाकारों ने भजन व संगीतमय प्रस्तुति दी

शाहपुरा (निसं)। राजपुरा गांव में स्थित शनि महाराज के मंदिर में श्री परमानंद धाम खोरी के महंत श्री हरिओम दास जी महाराज के सानिध्य विशाल भंडारा एवं वार्षिक पाटोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान श्री शनि महाराज की मूर्ति का श्रृंगार कर फूलों से झांकी सजाई गई। कार्यक्रम में गायक कलाकार व हास्य कवि विनोद कुमार शर्मा, बंटी शर्मा खोरी, दिलीप नवरंग ने संगीतमय रामधुनी व एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। इससे आस-पास का वातावरण भी भक्तिमय बना रहा। मंदिर के महंत मंगलदास ने सुबह 4 बजे आरती उतारकर कार्यक्रम का समापन किया। इसके बाद प्रसादी का वितरण किया गया।

अवैध बूचड़ खाने को किया सीज

कोटपूतली, (निसं)। नगर परिषद आयुक्त नूर मोहम्मद के आदेश पर गुरूवार को परिषद के कार्मिकों ने कस्बे के मुख्य चौराहा पर एलबीएस मार्केट स्थित स्टैण्डर्ड झटका मीट भण्डार को सीज कर दिया।

इस सम्बंध में नगर परिषद को षिकायत प्राप्त हुई थी कि उक्त दुकान से आमजन, राहगीरों व आसपास के व्यापारियों को काफी परेषानी का सामना करना पड़ रहा हैं। जिसको लेकर नगर परिषद द्वारा दुकान के संचालक को दो नोटिस भी दिये गये थे। लेकिन संचालक ने ना तो उक्त अविधिक बूचड़ खाने को बंद किया एवं ना ही इस सम्बंध में स्वामित्व व बूचड़ खाना संचालन की अनुमति सम्बंधित कोई दस्तावेज नगर परिषद में प्रस्तुत किये। जिसको लेकर नगर परिषद द्वारा नगर पालिका अधिनियम-2009 के उल्लंघन होने पर उक्त अवैध बूचड़ खाने को तत्काल प्रभाव से सीज/बंद कर दिया गया।

भूपेंद्र यादव और खर्रा 6 को आएंगे किशनगढ़ बास, विभिन्न विकास कार्यों की करेंगे शुरूआत

■ भूपेंद्र यादव व राज्य सरकार के नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा 6 दिसंबर को किशनगढ़ बास में नवीन बस स्टैंड, महाराणा प्रताप नगर सहित करीब 200 करोड़ की योजनाओ के शिलान्यास करेंगे

किशनगढ़ बास, (निसं)। अलवर सांसद व केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मत्री भूपेंद्र यादव व राज्य सरकार के नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा 6 दिसंबर को किशनगढ़ बास में नवीन बस स्टैंड, महाराणा प्रताप नगर सहित करीब 200 करोड़ की योजनाओ के शिलान्यास करेंगे।

उल्लेखनीय है कि शहर में अंदर बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए बस स्टैंड शिफ्ट करने व घुमंतू जाति गड़रिया लूहारो को स्थाई रूप से बसाने के लिए करीब दो साल पहले भूरपहाडी चौंक पर बस स्टैंड व महाराणा प्रताप नगर बसाने की नींव किशनगढ़ बास में 2024 में अल्प समय के लिए एसडीएम रहे प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी घीरज सिंह रखकर गए थे।

6 दिसंबर को जिस करोड़ों रुपए की बेशकीमती नगर पालिका की भूमि पर नवीन बस स्टैंड का शिलान्यास करने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान सरकार के नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा नवीन बस स्टैंड व महाराणा प्रताप नगर का शिलान्यास करेंगे वह भूमि दो साल पहले घुमंतू जाति गड़रिया लूहारो व अन्य प्रभावशाली लोगों के कब्जे में थीं जिसे प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी घीरज सिंह ने केवल तीन दिन में खाली कराकर बस स्टैंड शिफ्ट कराने व महाराणा प्रताप नगर बसाने की नींव रखी गई थी। और यह भी सही है कि वह चाहते हैं तत्काल प्रभाव से बस स्टैंड शिफ्ट हो तैयारी भी कर ली गई लेकिन आदेश होने पर उन्हें जाना पड़ा लोगों का कहना है अगर वह कुछ दिन और रूक जाते तो उसी वक्त बस स्टैंड शिफ्ट हो गया होता।

नगर पालिका अधिकारियों के साथ साथ शहर के लोगों का मानना है कि बाईपास भूरपहाडी चौंक पर नवीन बस स्टैंड के संचालन से शहर में अंदर रहने वाले वाहनों के जाम की स्थिति से शहरवासियों को काफी राहत मिलेगी वहीं सैकड़ो लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ वर्षों से मांग करते आ रहे गड़रिया लूहारो के सपने भी पूरे होंगे जो अभी तक तिरपाल के तम्बू और गाड़ी को आशियाना बनाकर रहते आ रहै हैं और यह सम्भव आज जो हों पा रहा है वह आईएएस घीरज सिंह के प्रयासों के कारण ही है जो बस स्टैंड के लिए और महाराणा प्रताप नगर की बसावट के लिए अतिकर्मियों के कब्जे से भूमि को मुक्त करा गए थे वरना इस भूमि को खाली कराने के लिए सरकारी स्तर पर अनेक बार प्रयास किए गए लेकिन हर बार अधिकारियों को विरोध के आगे पीछे हटना पड़ा था। नवीन बस स्टैंड के शिलान्यास कार्यक्रम की सफल आयोजन को लेकर नगर पालिका के अधिकारी रात-दिन तैयारी में लगे हैं तो वहीं राष्ट्रीय परिषद भाजपा सदस्य किशनगढ़ बास पूर्व विधायक रामहेत यादव कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग पहुंचे इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों सहित व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर अधिक से अधिक लोगों को लेकर आने की अपील कर रहे हैं वहीं दुसरी ओर सामाजिक व्यापारिक संगठनों आमजन की मांग है कि किशनगढ़ बास से कोटकासिम और खैरथल के लिए रोडवेज ने एक भी शटल बस सेवा शुरू नहीं कर रखी। जबकि दोनों सड़क मार्गों पर बड़ी सख्या में यात्रियों का आवागमन होता है। लोगों की मांग है सुबह 6 से रात्रि 8:00 बजे तक दोनों रूटों पर शटल बस सेवा शुरू की जाए।

नदी में गिरी कार दो महिलाओं की मौत व पांच घायल

टोंक(निसं)। पीपलू थाना क्षैत्र में स्थित सहोदरा नदी की पुलिया पर बुधवार रात्रि को मंदिर से दर्शन कर एक परिवार कार से लौट रहे थे, तभी कार नदी में गिर जाने से हादसे में दो महिलाओं की मौत तथा 5 व्यक्ति घायल हो गये।

इस दौरान गाडी में फंसे लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया, परिवार अजमेर के रहने वाले बताया जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक परिवार कार (स्कार्पियों) में सवार होकर सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रहे थे, जो पीपलू क्षैत्र ग्राम ढूंढिया के पास स्थित सहोदरा नदी की पुलिया पार करते समय तभी कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। मौके पर पंहुचे स्थानीय लोगों ने बताया कि कार में सवार सभी आधा घंटे तक अंदर ही फंसे रहे, बड़ी मुश्किल से शीशा तोडकर बाहर निकाला तथा जिला अस्पताल टोंक में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान दो महिला सुप्यार पत्नी सुखराम उम्र 45 साल व मंजू पत्नी जीवनराम उम्र 50 साल ने दम तोड दिया तथा घायलो में जीवनराम उम्र 55 साल, सुशील 25 साल, सीता 28 साल, व सुखराम 50 साल का इलाज किया जा रहा है।

पुलिस थाने के सामने बेधड़क निकलते हैं ओवरलोड वाहन, हादसों का बना रहता है डर

■ कई वाहन दिनभर सड़कों पर क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर फर्राटे भर रहे हैं। वहीं, पिकअप, ट्रक आदि वाहन भी ओवरलोडिंग कर सड़कों पर दौड़ते देखे जा रहे हैं

पावटा(निसं)। शासन के तमाम प्रयासों के बाद भी ओवरलोड वाहनों का संचालन बेधड़क हो रहा है। चाहे वह माल वाहक हो या सवारी वाहन। इसके साथ ही कृषि कार्य के लिए अधिकृत वाहनों पर भी ओवरलोडिंग की जा रही है। बावजूद इसके न तो परिवहन विभाग सक्रिय दिख रहा है न ही पुलिस। ओवरलोड वाहनो से आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन फिर भी इन पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। कई वाहन दिनभर सड़कों पर क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर फर्राटे भर रहे हैं। वहीं, पिकअप, ट्रक आदि वाहन भी ओवरलोडिंग कर सड़कों पर दौड़ते देखे जा रहे हैं।

यातायात सुरक्षा को लेकर पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है। विभाग की टीमें समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को तेज गति से वाहन न चलाने व क्षमता से अधिक भार लेकर न चलने की हिदायत देते हैं, लेकिन जिस तरह से ओवरलोडिंग कर वाहन थाने के सामने से सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि विभाग पूरी तरह से सक्रिय नहीं है।

नियम है कि कोई भी भार वाहक वाहन में क्षमता से अधिक भार नहीं लादा जाए, लेकिन इस नियम का शहर में पालन नहीं हो रहा है। चालक पिकअप, ट्रक में तिरपाल लगाकार चाहे भूसा हो या सामान कई फीट ऊपर तक भरते हैं और सड़कों पर फर्राटा भरते हैं। मुख्य मार्ग पर पुलिस ड्यूटी करती है और चौराहों, तिराहों पर भी पुलिसकर्मी मुश्तैद रहते हैं।

इसके बाद भी ओवरलोड वाहनों पर कोई रोक नहीं लगाई जाती। तय क्षमता से ज्यादा मामल लादने के बाद कभी भी वाहन के असंतुलित होने की संभावना रहती है, इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। जिसकी चपेट में खुद वाहन चालक व अन्य लोग आ सकते हैं। भारी वाहनों के कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। पावटा टसकोला रोड पर लगातार भारी वाहनों ने ग्रामीणों को परेशान कर दिया है।

सडक़ पूरी तरह से खराब हो चुकी है और कई जगह धूल के गुबार उडऩे से मोटर साइकिल चालकों को क्रासिंग करने तक में परेशानी आती है।

परेशान ग्रामीण कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही है। इस समस्या का स्थायी समाधान करने की जरूरत है। आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द से जल्द ओवरलोड वाहनों पर अंकुश नहीं लगा तो आंदोलन करेंगे।

2 से 10 दिसम्बर तक विषेष टीकाकरण अभियान का आयोजन

कोटपूतली,(निसं)। यहां के राजकीय बीडीएम जिला चिकित्सालय में संचालित षिविर का गुरूवार को बीसीएमओ डॉ. पूरण चंद गुर्जर ने निरीक्षण किया।

उल्लेखनीय है कि 02 से 10 दिसम्बर तक विषेष टीकाकरण अभियान का आयोजन किया जा रहा हैं। जिसके अन्तर्गत आयुष्मान आरोग्य मन्दिर-आरोग्य परम् धनम शहरी जनता क्लीनिक सरूण्ड एवं जनता क्लीनिक गोपालपुरा रोड़ का निरीक्षण किया गया।

इस अभियान के तहत टीकाकरण से वंचित बच्चों की ड्यू लिस्ट बनाकर टीकाकरण सत्र का आयोजन कर टीकाकरण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान टीकाकरण सत्र पर ड्यू लिस्ट को क्रोस वैरीफाई किया गया। सत्र स्थल पर एएनएम एवं आशाओं को ड्यू लिस्ट के अनुसार शत् प्रतिशत टीकाकरण करने, यूविन एवं पीसीटीएस एप पर रिपोर्ट अपडेट करने हेतु निर्देषित किया गया। साथ ही समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होने, आई.डी. कार्ड पहनने, संस्थान की साफ-सफाई, डीडीसी व स्टोर में दवाईयों को सुव्यवस्थित रखने, जांच करने के निर्देष प्रदान किये।

ग्राम पंचायत गुजरवास में जिला कलेक्टर की रात्रि चौपाल आयोजित

जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों द्वारा विभिन्न समस्याओं के परिवाद दिए गए।

■ जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की भावना के अनुसार परिवेदनाओं का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जाए

कोटपूतली(निसं)। जिले की बहरोड़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुजरवास में बुधवार को जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित हुई। इस दौरान ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की भावना के अनुसार परिवेदनाओं का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों द्वारा विभिन्न समस्याओं के परिवाद दिए गए। इनमें नियमित जलापूर्ति करने, बिजली सड़क, अतिक्रमण, पीएम आवास योजना का लाभ दिलवाने, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने सहित अन्य परिवाद प्राप्त हुए।

जिला कलेक्टर ने एक-एक परिवादी की परिवेदना को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेते हुए नियमानुसार समाधान के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान चौपाल में उपस्थित अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं एवं अन्य को भी जागरूक करें। उन्होंने रात्रि चौपाल के उद्देश्यों को बताते हुए कहा कि चौपाल में जितनी भी परिवेदनाएं आई है उनको ऑनलाइन संपर्क पोर्टल पर दर्ज कर उनको शीघ्र ही निस्तारित करवाई जाएगी । इस दौरान उपखंड अधिकारी राम किशोर मीणा सहित संबंधित अधिकारी व कार्मिक एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

दसवीं की पुण्यतिथि

स्व.श्री विद्याभूषण जी (V. Bhushan, Advocate)

आपके विचार हमारे आदर्श है, आपकी स्मृतियां एवं कार्य हमारी पूंजी है। आपके बताये मार्ग का अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है।

हम सभी परिवारजन श्रद्धासुमन अर्पित करते है।

श्रद्धावनत्-गिरीश सरीन (एडवोकेट), डॉ. पुरनीश सरीन, CA सतीश सरीन एवं समस्त परिवार

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना दिनांक 04.12.2025

सर्व विदित हो कि मैं सीताराम जलुथरिया पुत्र श्री नानगराम जलुथरिया निवासी एस-28, विवेकानन्द कॉलोनी, सोफिया विद्यालय के पीछे, घाट गेट, जवाहर नगर, जयपुर राजस्थान ने अपने पुत्र जय कुमार जलुथरिया पुत्र श्री सीताराम जलुथरिया निवासी एस- 28, विवेकानन्द कॉलोनी, सोफिया स्कूल के पीछे, घाट गेट, जवाहर नगर, जयपुर राजस्थान जो काफी समय से मेरे कहने में नहीं है इसलिये में अपने पुत्र श्री जय कुमार जलुथरिया को मेरी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूं आज के बाद मेरे पुत्र जय कुमार जलुथरिया का मेरी चल व अचल सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहेगा। अगर आज के बाद मेरा पुत्र जय कुमार जलुथरिया किसी प्रकार का कोई संव्यवहार करता है तो वो शून्य समझा जायेगा। सूचित रहे।

भवदीया- रत्नी वर्मा (एडवोकेट) मो. नं. 9610004172

प्रपत्र-4

कार्यालयः राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

मूल परिवाद संख्यः- 73/2010

श्री. ऋषि पारीक, परिवादी

बनाम्

H.D.F.C. Ltd. विपक्षी

प्रेषितिः-

मै. गोल्ड ड्रीम्स बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, पंजीकृत कार्यालय सी-24, भगवानदास रोड, सी-स्कीम, जयपुर

1. श्री शंकर एम. जेठानी, पुत्र स्व. श्री एम.आर. जेठानी
2. श्री अरूण वंसल, पुत्र स्वं. आर.एन. वसंल
3. श्री मेराज उन नबी खान, पुत्र श्री निसार उन नबी खान
4. श्री नावेद सईदी, पुत्र डॉ. श्री. अजमल सईदी

नोटिस

अतः उपर्युक्त नामधारी परिवाद द्वारा राज्य आयोग में उपर्युक्त परिवाद (जिसकी प्रति संलग्न है) प्रस्तुत किया गया है।

अब इसलिये, आपको सूचित किया जाता है कि आप इस प्रकरण के संबंध में अपना हस्ताक्षिरत जवाब, यदि कोई हो, (तीन अतिरिक्त प्रतियों के कुलक सहित) एतदर्थ वैधानिक रूप से निर्धारित-इस नोटिस की प्राप्ति के 45 दिन की अवधि के अन्दर व्यक्तिशः अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या डाक द्वारा राज्य आयोग में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आपके जवाब की एक प्रति परिवादी / परिवादियों को परिवाद में अंकित उनके पते पर तामील करा दी जाए।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित प्रकरण में आगे कार्यवाही के लिये आपको स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से इस राज्य आयोग के समक्ष दिनांक 19.12.2025 प्रातः 11 बजे उपस्थित होना चाहिए।

यह सूचित किया जाता है कि आपके अनुपस्थित रहने पर राज्य आयोग द्वारा परिवाद पर एकपक्षीय सुनवाई की जाकर निर्णय पारित कर दिया जाएगा।

जयपुर, दिनांक :- 02.12.2025

उप पंजीयक

मोहर अदालत — राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान जयपुर

प्रपत्र-4

कार्यालयः राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

मूल परिवाद संख्यः- 73/2010

श्री. ऋषि पारीक, परिवादी

बनाम्

H.D.F.C. Ltd. विपक्षी

प्रेषितिः-

कृष्णा विला प्राईम अपार्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय दुकान संख्या 22-23, तृतीय तल ऑर्बिट मॉल, डिस्पेंसरी संख्या-04, के पास सोडाला, जयपुर

1. श्री पवन लश्करी, पुत्र श्री श्याम सुन्दर लश्करी
2. श्री जितेन्द्र अग्रवाल, पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल

नोटिस

अतः उपर्युक्त नामधारी परिवाद द्वारा राज्य आयोग में उपर्युक्त परिवाद (जिसकी प्रति संलग्न है) प्रस्तुत किया गया है।

अब इसलिये, आपको सूचित किया जाता है कि आप इस प्रकरण के संबंध में अपना हस्ताक्षिरत जवाब, यदि कोई हो, (तीन अतिरिक्त प्रतियों के कुलक सहित) एतदर्थ वैधानिक रूप से निर्धारित-इस नोटिस की प्राप्ति के 45 दिन की अवधि के अन्दर व्यक्तिशः अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या डाक द्वारा राज्य आयोग में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आपके जवाब की एक प्रति परिवादी / परिवादियों को परिवाद में अंकित उनके पते पर तामील करा दी जाए।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित प्रकरण में आगे कार्यवाही के लिये आपको स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से इस राज्य आयोग के समक्ष दिनांक 19.12.2025 प्रातः 11 बजे उपस्थित होना चाहिए।

यह सूचित किया जाता है कि आपके अनुपस्थित रहने पर राज्य आयोग द्वारा परिवाद पर एकपक्षीय सुनवाई की जाकर निर्णय पारित कर दिया जाएगा।

जयपुर, दिनांक :- 02.12.2025

उप पंजीयक

मोहर अदालत — राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल

वृत-तृतीय, जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल, जयपुर

क्रमांक 4525 दिनांक 21/11/2025

-: आम जाहिर सूचना :-

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या 5/MA/36 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 96.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री मूल चन्द पुत्र श्री रामकिशन को किया गया था। मूल पट्टा अपंजीबद्ध है। तत्पश्चात श्री मूल चन्द पुत्र श्री रामकिशन के द्वारा उक्त अपंजीबद्ध पट्टे का मुख्त्यारनामाआम श्री कांती लाल सेठ पुत्र श्री माणक चन्द सेठ को नियुक्त किया गया। उक्त मुख्त्यारनामाआम अपंजीबद्ध है।

तत्पश्चात मुख्त्यारनामा आम धारक श्री कान्ती लाल सेठ के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरिये विक्रय पत्र श्रीमती सुशीला देवी अग्रवाल पत्नी श्री कैलाश चन्द अग्रवाल को कर दिया। यह विक्रय पत्र दिनांक 25/06/2008 को पंजीबद्ध है।

तत्पश्चात श्रीमती सुशीला देवी अग्रवाल पत्नी श्री कैलाश चन्द अग्रवाल ने उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरिये विक्रय पत्र श्री चौबे लाल मीना पुत्र श्री राम भरोसी मीना को कर दिया। यह विक्रय पत्र दिनांक 25/06/2008 को पंजीबद्ध है। श्री चौबे लाल मीना पुत्र श्री राम भरोसी मीना के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का नवीन पट्टा अपने पक्ष में जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है। जिसके क्रम में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों में मुख्त्यारनामाआम की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है। उक्त हस्तान्तरण अथवा मुख्त्यारनामा आम के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री चौबे लाल मीना पुत्र श्री रामभरोसी मीना का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर उनके पक्ष में उक्त भूखण्ड का नवीन पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 541/2025

चूंकि श्री राम स्वरूप पारासर पुत्र श्री बद्रीप्रसाद पारासर निवासी 93/71 अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत **जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी,** कार्यालय पता-खां-नागोरियन, जगतपुरा, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारां प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 17/11/25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 21/1/26

6033 सहायक आयुक्त (प्रथम)

17-11-25 देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र-4

कार्यालयः राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

मूल परिवाद संख्यः- 82/2010

श्री. ऋषि पारीक, परिवादी

बनाम्

H.D.F.C. Ltd. विपक्षी

प्रेषितिः-

कृष्णा विला प्राईम अपार्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय दुकान संख्या 22-23, तृतीय तल ऑर्बिट मॉल, डिस्पेंसरी संख्या-04, के पास सोडाला, जयपुर

1. श्री पवन लश्करी, पुत्र श्री श्याम सुन्दर लश्करी
2. श्री जितेन्द्र अग्रवाल, पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल

नोटिस

अतः उपर्युक्त नामधारी परिवाद द्वारा राज्य आयोग में उपर्युक्त परिवाद (जिसकी प्रति संलग्न है) प्रस्तुत किया गया है।

अब इसलिये, आपको सूचित किया जाता है कि आप इस प्रकरण के संबंध में अपना हस्ताक्षिरत जवाब, यदि कोई हो, (तीन अतिरिक्त प्रतियों के कुलक सहित) एतदर्थ वैधानिक रूप से निर्धारित-इस नोटिस की प्राप्ति के 45 दिन की अवधि के अन्दर व्यक्तिशः अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या डाक द्वारा राज्य आयोग में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आपके जवाब की एक प्रति परिवादी / परिवादियों को परिवाद में अंकित उनके पते पर तामील करा दी जाए।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित प्रकरण में आगे कार्यवाही के लिये आपको स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से इस राज्य आयोग के समक्ष दिनांक 19.12.2025 प्रातः 11 बजे उपस्थित होना चाहिए।

यह सूचित किया जाता है कि आपके अनुपस्थित रहने पर राज्य आयोग द्वारा परिवाद पर एकपक्षीय सुनवाई की जाकर निर्णय पारित कर दिया जाएगा।

जयपुर, दिनांक :- 02.12.2025

उप पंजीयक

मोहर अदालत — राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान जयपुर

प्रपत्र-4

कार्यालयः राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

मूल परिवाद संख्यः- 82/2010

श्री. ऋषि पारीक, परिवादी

बनाम्

H.D.F.C. Ltd. विपक्षी

प्रेषितिः-

मै. गोल्ड ड्रीम्स बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, पंजीकृत कार्यालय